न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :– बिन्दुबाला राजावत आर.ए.एस.

पत्रावली संख्या. 11/2021
किस्म :– प्रार्थना पत्र
दायर दिनांक : 25.01.2021
निर्णय दिनांक: 25.02.2026

अनवान

1– पारसबाई पत्नि पुष्करलाल जाति जाट निवासी पछमता, तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद
प्रार्थीया

बनाम

1– प्यारीबाई पत्नि मगनीराम उर्फ मगना जाति जाट निवासी पछमता, तहसील रेलमगरा
2– संतोष बाई पत्नि बालुराम जाति जाट निवासी पछमता, तहसील रेलमगरा
3– किशनलाल पिता मगना जाति जाट निवासी पछमता, तहसील रेलमगरा
4– शंकरलाल पिता मगना जाति जाट निवासी पछमता, तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद
5– बालु पिता सोला जाति जाट निवासी पछमता, तहसील रेलमगरा
6– भेरू पिता सोला जाति जाट निवासी पछमता, तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद
अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थीगण अधिवक्ता– लादुलाल जाट
अप्रार्थीगण अधिवक्ता– रोशनलाल साहु

निर्णय

प्रार्थीया की ओर से जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की भूमियां ग्राम पछमता पटवार हल्का पछमता की वर्तमान खसरा संख्या 654 क्षेत्रफल 0.3885 हैक्टेयर अंकित होकर प्रार्थीया अपने खसरा पर आने जाने के लिये एक मात्र कदीमी रास्ता विपक्षीगण की आराजी संख्या 640, 641, 652, 653 के पुर्व पाली से प्रविष्ट कर उतरी पाली के सहारे 13 फीट चौडाई में चला आ रहा है। प्रार्थीया अपने उक्त खसरे पर सदैव से इस रास्ते से हल, बैल, बैलगाडी, पैदल कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग उपभोग करती चली आ रहा है। इस रास्ते के अलावा प्रार्थीया की भूमियों पर आने जाने का अन्य कोई अन्य रास्ता स्थित नही है अर्थात एक मात्र यही रास्ता है जिसका प्रार्थीया कदीम से उपयोग उपभोग करती चली आ रही है। यह कि विपक्षीगण के द्वारा उक्त रास्ते से प्रार्थीया के द्वारा आने जाने में बाधा हस्तक्षेप कारित करते रहते है व हाल ही में रास्ते को विपक्षीगण द्वारा हाक दिया गया इस प्रकार उक्त विपक्षीगण के परिवार वाले बाधा हस्तक्षेप कारित करते रहते है। अगर उक्त

सहायक कलक्टर

रास्ता बन्द कर दिया जाता है तो प्रार्थीया को अपूरणीय क्षति कारित होगी इस रास्ते के अलावा प्रार्थीया के खसरे पर आने जाने के लिये कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है इसलिए इस रास्तें को मौके पर एवं राजस्व अभिलेख में कायम करने की आवश्यकता है। ताकि निकट भविष्य में कोई विवाद उत्पन्न नही हो ओर न ही कोई मुकदमें बाजी बढे इस हेतु यह प्रार्थना पत्र आप न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। यह कि प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र का हेतुक आज से 01 माह पूर्व विपक्षीगण ने जब प्रार्थीया को आने जाने से मौखिक रूप से मना किया गया एवं प्रार्थीया द्वारा विपक्षीगण को क्षतिपूर्ति अदा कर रास्ता प्रार्थीया के खसरे पर आने जाने के लिये कहा गया तब विपक्षीगण ने टालमटोल कर उपरोक्त वर्णित स्थान पर किमतन रास्ता देने से मना कर दिया जिससे प्रार्थी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का हेतुक उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। यह कि वादग्रस्त विपक्षीगण की आराजी संख्या 640, 641, 652, 653 एवं प्रार्थीया की खसरा संख्या 654 ग्राम पछमता तहसील क्षेत्र रेलमगरा में स्थित होने से प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार न्यायालय आपको है। प्रार्थना कि प्रार्थीया को अपने खसरा सख्या 654 पर जाने के लिये विपक्षीगण के खसरा संख्या 640, 641, 652, 653 के उतरी पाली के सहारे 13 फीट चौडाई का रास्ता प्रार्थीया के खसरा संख्या 654 तक की लम्बाई का रास्ता विपक्षीगण से प्रार्थीया कों दिलवाये जाने का आदेश प्रदान कराया जावे । प्रार्थीया नियमानुसार डि.एल.सी. रेट के अनुसार अथवा न्यायालय आप जो भी राशि तय फरमाई जाती है अदा करने को तैयार है उक्त रास्ता विपक्षीगण से किमतन प्रार्थीया को दिलवाया जावे प्रतिकर नियमानुसार अदा करने को तैयार है। यह कि प्रार्थना पत्र में वर्णित रास्ता प्रार्थीया को प्रदान कराया जावे तथा राजस्व रेकार्ड व नक्शा ट्रेस में उक्त रास्ते के क्षेत्रफल को बिलानाम रास्ते के रूप में अंकन करवाया जावे । अन्य समुचित सहायता प्रार्थीया प्राप्त करने का अधिकारी हो प्रदान कराया जावे ।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किए गये। विपक्षीगण की और से जरिये अधिवक्ता जावाब प्रस्तुत किया कि यह कि प्रार्थना पत्र कि कलम संख्या 01 का विवरण जिस रूप में वर्णित किया गया है, उस रूप मे गलत होकर अस्वीकार हैं। प्रार्थीया कि खातेदारी भूमि ग्राम पछमता में अवश्य स्थित है, किंतु उसका आवागमन का रास्ता विपक्षीगण कि भूमियों में मौजूद नहीं है। बाकि मुख्य सड़क से आराजी संख्या 666 667, 668 व 670 से होकर प्रार्थीया स्वयं अपनी आराजी संख्या 659 में प्रवेश करती है जहां से प्रार्थीया अपनी अन्य आराजीयात संख्या 658, 655 व 654 में आसानी से आ जा सकती है तथा वहीं से आ रही है। यह कि प्रार्थना पत्र कि कलम संख्या 02 का विवरण जिस रूप में वर्णित किया गया है उस उस रूप में गलत होकर अस्वीकार है। प्रार्थीया कि खातेदारी भुमि ग्राम पछमता में अवश्य स्थित है। किन्तु उसका आवागमन का विपक्षीगण की उक्त आराजिपात में कोई रास्ता ही विद्यमान नहीं हैं तो उसका उक्त आराजियात में आने जाने का कोई हक अधिकार भी नहीं है। प्रार्थीया स्वय एक अतिक्रमी कि हैसियत से शोर्टकट की मंशा के विपक्षी की फसलों को क्षति कारित करती है, जिसका उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नही है। यह कि प्रार्थना पत्र कि कलम संख्या 03 का विवरण जिस रूप में वर्णित किया गया है उस रूप में गलत होकर अस्वीकार है प्रार्थीया आवागमन का पूर्व से ही गली नुमा रास्ता आराजी संख्या 666 से होकर आराजी संख्या 668 तक होकर आगे आराजी संख्या 670 व

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

661 कि बीच की पाली के होते हुए प्रार्थीया स्वय की आराजी संख्या 659 में आकर उसी की अन्य आराजियात में आना जाना कई वर्षों से होता रहा है तो अब केवल नजदीकी रास्ता की मंशा से नया रास्ता प्रार्थीया प्राप्त नहीं कर सकती है बिना कारण के यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज होने योग्य है। प्रार्थना प्रार्थीया द्वारा मिथ्या तथ्यों पर चाही गई होने से प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज होने योग्य है।

'विशेष जवाब' यह कि प्रार्थीया द्वारा गलत व झुठे आधारो पर यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जहां पहले से ही रास्ता मुख्य सड़क से पश्चिमी ओर से आराजी संख्या 666, 667, 668, 670, में होकर प्रार्थीया स्वयं कि आराजी 659 में प्रवेश होकर प्रार्थीया कि अन्य आराजियात 658,655 व 654 जो एक दुसरे से जुडी हुई है, वहां आसानी से आना–जाना होता हैं तो केवल शोर्टकट रास्ते की चाह से यह प्रार्थना पत्र नये रास्ते हेतु चलने योग्य नहीं है। यह कि प्रार्थीया द्वारा चाहे गये रास्ते के लिए अगर विपक्षी की आराजी संख्या 640 व 641 से नया रास्ता दिया जाता है,तो उक्त आराजी संख्या 640 व 641 दोनो बहुत कम चोड़ाई व अधिक लम्बाई में होने के पुर्व से पश्चिम उक्त आराजियात बाद दिलाने रास्ता बिल्कुल ही अन उपयोगी होकर केवल संकडी गली के रूप में आराजी हो जायेगी, जिसका विपक्षीगण काश्त हेतु कोई उपयोग नहीं हो पायेगा जिसमे भी उक्त अनुसार रास्ता दिया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्वातों के विपरित होगा।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीया कि ओर से प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र गलत व झुठे आधारों पर तथ्य छिपा कर पेश करने से खारिज फरमाया जावें।

प्रार्थी अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना–पत्र के समर्थन में नक्शा ट्रेस वर्तमान जमाबन्दी की प्रति प्रस्तुत की गई। तहसीलदार रेलमगरा द्वारा भी रास्ते के सम्बन्ध में अपनी जांच रिपोर्ट भिजवाई गई जिसमें यह बताया कि प्रार्थी के इस रास्ते के अलावा अन्य रास्ता कोई उपलब्ध नहीं है तथा निकटतम रास्ता विवादित आराजियात से ही हैं।

प्रार्थीया के अधिवक्ता की बहस सुनी गई । प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया की प्रार्थीया की आराजी संख्या 654 में आने जाने हेतु रास्ता चाहा गया है। तहसीलदार रेलमगरा द्वारा भी मौका जांच रिपोर्ट अनुसार रास्ता चाहिये। इसी रास्ते को उपयोग में ले रहे है। इस रास्ते के अलावा वैकल्पिक अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं हैं। उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाया जाकर तरमीम कराने का आदेश प्रदान करावें। राजकीय शुल्क प्रार्थीया अदा करने को तैयार है। यह कि आराजी संख्या 666, 667,व 661 अन्य कि आराजी है। उक्त आराजी संख्या 640, 641, 652,व 653 पर पूर्व से ही रास्ते के उपयोग–उपभोग में ली जा रही है। विपक्षीगण ने उक्त रास्ता बन्द कर दिया गया। प्रार्थी की जमीन इस रास्ते के अलावा वैकल्पिक अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं हैं। उक्त रास्ता विपक्षीगण से किमतन प्रार्थीया को दिलवाया जावे, प्रतिकर नियमानुसार अदा करने को तैयार है। यह कि प्रार्थना पत्र में वर्णित रास्ता प्रार्थीया को प्रदान कराया जावे तथा राजस्व रेकार्ड व नक्शा ट्रेस में उक्त रास्ते के क्षेत्रफल को बिलानाम रास्ते के रूप में अंकन करवाया जावे । उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाया जाकर तरमीम कराने का आदेश प्रदान करावें।

सहायक कलक्टर
उप खण्ड अधिकारी)

अप्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस में बताया कि पटवारी हल्का द्वारा जा रिपोर्ट बनायी गयी वह गलत है। मेरे जवाब के साथ जो नक्शा की फोटो प्रति प्रस्तुत कि गयी है। जिसमें पनोतिया से पछमता रोड जिस पर आराजी संख्या 659, 655, व 658 इनकी खुद की आराजी है। जो प्रार्थीया व इनके पति की है। तथा आराजी संख्या 640 व 641 से रास्ता देने पर मेंरी आधी आराजी खत्तम हो जायेगी। मेंरी आराजी की चौडाई कम कोने से मेरी शेष भुमि काश्त योग्य नही रहेगी। शेष भुमि उपयोग योग्य रहनी चाहिये। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त फरमाया जावे।

उभय पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज तहसीलदार रेलमगरा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट व विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब मय नक्शे कि फोटो प्रति एंव बहस के आधार पर प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251'क' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार किया जाता हैं पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 25.02.2026 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(बिन्दुबाला राजावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा
(राजसमंद)

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा